न्यायालय सहायक कलक्टर बडीसादडी

पीठासीन अधिकारी :– श्री प्रवीण कुमार मीणा आर.ए.एस
प्रकरण संख्या :– 3/2024 ई.रे.

1– नरेश पिता गोर्धनलाल गर्ग निवासी बांसी तह. बडीसादडी
—वादी

बनाम

1– राकेश पिता गोर्धनलाल गर्ग निवासी बांसी तह. बडीसादडी
2– शम्भुलाल पिता गोर्धनलाल गर्ग निवासी बांसी तह. बडीसादडी
3– सुशीला पुत्री गोर्धनलाल पति दुर्गाशंकर गर्ग निवासी बांसी तह. बडीसादडी
4– गोर्धनलाल पिता स्व. चतरभूज गर्ग निवासी बांसी तह. बडीसादडी
5– देउबाई पत्नि गोर्धनलाल गर्ग निवासी बांसी तह. बडीसादडी
6– राजस्थान सरकार जरीए भूमिधारी तहसीलदार बडीसादडी
—प्रतिवादीगण

वाद पत्र अर्न्तगत धारा 88, 188 रा0टी0एक्ट

// निर्णय // **दिनांक :– 16/09/2025**

वादी की और से प्रस्तुत वाद के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि मौजा बान्सीं पटवार हल्का बान्सीं तहसील बडीसादडी की नकल जमाबन्दी सवत 2076 से 2079 तक स अनुसार खाता संख्या नई 128 पुरानी 27 में दर्ज आराजी खसरा नम्बर 727 रकबा 0.1200 हैक्टेयर किस्म चाही–4 लगानी 1.56 पैसा, आराजी खसरा नम्बर 728 रकबा 0.2300 हैक्टेयर किस्म चाही–4 लगानी 2.99 पैसा, आराजी खसरा नबर 729 रकबा 0.2700 हैक्टेयर किस्म चाही–1 लगानी 0.2700 पैसा, आराजी खसरा नम्बर 747 रकबा 0.0400 हैक्टेयर किस्म चाही–1 लगानी 1.32 पैसा कुल किता 4 कुल रकबा 0.6600 हैक्टेयर कुल लगानी 14.7800 पैसा वाली आराजी स्थित है जिसे वादपत्र में उक्त आराजी को सुविधा की दृष्टि आराजी के नाम से सम्बोधित किया जायेगा। मौजा बान्सी पटवार हल्का बान्सी तहसील बडीसादडी की नकल जमाबन्दी सवत 2076 से 2079 तक के अनुसार खाता संख्या नई 190 पुरानी 179 में दर्ज आराजी खसरा नम्बर 730 रकबा 0.2900 हैक्टेयर किस्म चाही–1 लगानी 9.57 पैसा, कुल किता 1 कुल रकबा 0.2900 हैक्टेयर मौजा वाली आराजीयात स्थित है जिसे वादपत्र में उक्त आराजी को सुविधा की दृष्टि से वादग्रस्त आराजी के नाम से सम्बोधित किया जायेगा। वादी एंव प्रतिवादीगण कमांक 1 से लगायात 5 पांच का पारिवारिक सजरा इस प्रकार है कि मूल पुरुष चतरभुज थे जिनके पुत्र गोर्धनलाल थे जिनके तीन पुत्र राकेश, नरेश, शम्भुलाल व पुत्री सुशीला पत्नी देउबाई है।

वादपत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित आराजीयात स्व. [illegible] जी के पूर्वजों के समय से चली आ रही है। वादी गोर्धनलालजी का पुत्र है जिसका वादग्रस्त आराजी में जन्म से ही हक हिस्सा निहित है उक्त आराजी पुश्तैनी पैत्रीक सम्पती है [illegible] गोधनलाल के तीन पुत्र व एक पुत्री है इसलिए इनका वादग्रस्त आराजी में प्रत्येक का 1/5 हक हिस्सा है उक्त आराजी वर्तमान में गोर्धन[illegible] के नाम पर राजस्व रिकोर्ड में दर्ज है वादी गोधनलालजी का पुत्र होकर हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार प्रथम श्रेणी का वारीस है इसलिए वादग्रस्त आराजी में वादी का 1/5 हक हिस्सा व प्रतिवादी

Signature Not Verified
Digitally signed by Praveen Kumar Meena
Date: 2025.11.19 10:27:43 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
बड़ीसादड़ी

संख्या 1 से 4 का प्रत्येक का 1/5 हक हिस्सा है उक्त हिस्से अनुसार आराजीयात वादी के खातेदारी में घोषीत किया जा कर राजस्व रिकोर्ड में दर्ज किया जाना न्यायोचित है। वादपत्र मे वर्णित आराजीयात गोर्धनलालजी ने अपनी अन्य पुश्तैनी आराजीयात को विक्रय कर उक्त आराजी को अपनी पत्नी व वादी की माता श्रीमती देउबाई के नाम से क्रय की है जो वर्तमान में देउबाई के नाम पर राजस्व रिकार्ड में दर्ज है इसमें भी वादी का 1/5 हक हिस्सा है तथा प्रतिवादी संख्या 1 से 3 व 5 का प्रत्येक का 1/5 हक हिस्सा अनुसार आराजी वादी की खातेदारी में घोषित की जाकर राजस्व रिकोर्ड में दर्ज कराई जावें।

वादपत्र में वर्णित आराजीयात पुश्तैनी पैतृक सम्पति की है जिसमें वादी का जन्म से ही हक हिस्सा निहित होने से वादी का 1/5 हक हिस्सा होता है। प्रतिवादी संख्या 4 गोर्धनलाल जी को सम्पूर्ण आराजी को विक्रय करने पर आमादा है जबकि गोर्धनलाल जी को सम्पूर्ण आराजी विक्रय करने का अधिकार नही है तथा देउबाई भी गोर्धनलालजी के सिखावे में आकर आराजी को हस्तान्तरीत करने पर आमादा है। जबकि मौके पर वादी अपने हक हिस्से पर शान्तिपूर्वक काबिज है इसलिए प्रतिवादीगण को जरीए स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावें की वे वादग्रस्त आराजी को रहन बय बक्षीश कर हस्तान्तरीत न करे न करावें तथा वादी को अपने हक हिस्से की आराजी पर शान्ति पूर्वक काबीज करने दें।

अतः वाद प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादी का वाद निन्नानुसार डिक्री फरमाया जावें कि।

क. कि वादपत्र की कलम संख्या 1 में वर्णित आराजी में वादी का 1/5 हक हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 से 4 का प्रत्येक का 1/5 हिस्सा तथा कलम संख्या 2 में वर्णित आराजी में वादी का 1/5 हक हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 1 से 3 व 5 का प्रत्येक का 1/5 हक हिस्से अनुसार आराजीयात वादी एवं प्रतिवादीगण के खातेदारी में घोषित की जाकर राजस्व रिकोर्ड में दर्ज कराई जावे।

ख. कि, प्रतिवागण को जरीए स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावें कि वे वादी के हक हिस्से की आराजीयात में किसी प्रकार की दखलअंदाजी न करे न करावें व अवैध तरिके से हस्तान्तरित न करे न करावें तथा वादी को अपने हक हिस्से की आराजीयात का शान्तीपूर्वक उपयोग उपभोग करने दें।

प्रकरण बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन से तलब किया गया । प्रतिवादीगण बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने से एकतरफा कार्यवाही अमल मे लायी गयी । पत्रावली साक्ष्यवादी में नियत की गई । साक्ष्यवादी मे भंवरसिंह, उदयलाल के शपथपत्र पेश हुये।

वकील वादी की एकपक्षीय बहस सुनी गई । पत्रावली का अवलोकन किया गया । वकील वादी का वाद स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि मौजा बांसी की आराजी नं. 727, 728, 729, 747 कुल किता 4 रकबा 0.6600 हैक्ट. में वादी का 1/5 हक हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 से 4 का प्रत्येक का 1/5 तथा आराजी नं. 730 रकबा 0.2900 हैक्ट. में वादी का 1/5 हक हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 1 से 3 व 5 का प्रत्येक का 1/5 हक हिस्सा घोषित किया जाता है। इसी अनुसार पर्चा डिक्री मुर्तिब हो। धारा 188 आर.टी.एक्ट की दाद वादी साब्रित करने में अफसल रहा इसलिये धारा 188 की दाद खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 16/09/2025 को सरे [illegible] यालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Praveen Kumar Meena
Date: 2025.11.19 10:27:43 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलेक्टर बड़ीसादड़ी
सत्यमेव जयते
बड़ीसादडी (चित्तौड़गढ़)

(... कुमार मीणा)
सहायक कलक्टर
बडीसादडी

मूल वाद में अंतिम डिक्री

(आदेश 20 नियम 6, 7 जा,दी.)

न्यायालय सहायक कलक्टर बड़ीसादड़ी

श्री प्रवीण कुमार मीणा आर.ए.एस. सहायक कलक्टर बड़ीसादड़ी

प्रकरण सं. 3/2024 वादपत्र धारा 88, 188 आर.टी.एक्ट.

1– नरेश पिता गोर्धनलाल गर्ग निवासी बांसी तह. बडीसादडी

——वादी

बनाम

1– राकेश पिता गोर्धनलाल गर्ग निवासी बांसी तह. बडीसादडी
2– शम्भुलाल पिता गोर्धनलाल गर्ग निवासी बांसी तह. बडीसादडी
3– सुशीला पुत्री गोर्धनलाल पति दुर्गाशंकर गर्ग निवासी बांसी तह. बडीसादडी
4– गोर्धनलाल पिता स्व. चतरभूज गर्ग निवासी बांसी तह. बडीसादडी
5– देउबाई पत्नि गोर्धनलाल गर्ग निवासी बांसी तह. बडीसादडी
6– राजस्थान सरकार जरीए भूमिधारी तहसीलदार बडीसादडी

—प्रतिवादीगण

वादी की ओर से वकील श्री नरेश जोशी तथा प्रतिवादीगण ओर से Exparte की उपस्थिति में यह वाद आज दिनांक को अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष अंतिम डिक्री के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है कि मौजा बांसी की आराजी नं. 727, 728, 729, 747 कुल किता 4 रकबा 0.6600 हैक्ट. में वादी का 1/5 हक हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 से 4 का प्रत्येक का 1/5 तथा आराजी नं. 730 रकबा 0.2900 हैक्ट. में वादी का 1/5 हक हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 1 से 3 व 5 का प्रत्येक का 1/5 हक हिस्सा घोषित किया जाता है। इस अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे।

इस वाद के खर्चे.....3..... प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित.....7..... को दी जावे।

यह आज दिनांक 16.09.2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी की गयी।

मोहर

(प्रवीण कुमार मीणा)RAS
आर.ए.एस
सहायक कलक्टर बडीसादडी

न्यायालय सहायक कलक्टर बड़ीसादड़ी जिला चित्तौड़गढ़

क्रमांक : राजस्व/2025/164 दिनांक : 16/09/2025

मूल ही तहसीलदार बड़ीसादड़ी को भेज कर लेख है कि उपरोक्तानुसार पालना कर पालना रिपोर्ट इस न्यायालय को भिजवायें।

(प्रवीण कुमार मीणा)RAS
आर.ए.एस
सहायक कलक्टर बडीसादडी

Signature Not Verified

Digitally signed by Praveen Kumar Meena
Date: 2025.11.19 10:27:43 IST
Reason: SelfAttested